

Recommendation of CCF

सिंगरौली जिले के वनमण्डल सिंगरौली के वन परिक्षेत्र बरगवां के कक्ष क्रमांक आर.एफ. 244 रकबा 1.575 हे0 वन भूमि में देवराग्राम से मझौली रेलवे लाईन के दोहरीकरण का कार्य किया जाना है। रेलवे लाईन के दोहरीकरण में प्रभावित वनभूमि कक्ष क्रमांक आर.एफ. 244 वन भूमि में कुल रकबा 1.575 हे0 व्यपवर्तन की स्वीकृति हेतु वनमंडलाधिकारी सिंगरौली द्वारा की गयी अनुशंसा के आधार पर इस कार्यालय द्वारा भी अनुशंसित है।

मुख्य वन संरक्षक
रीवा वृत्त, रीवा (म.प्र.)

भाग III
संबंधित वन संरक्षक द्वारा भरा जाना है।

1	स्थल जहां की वनभूमि शामिल की गई है क्या इसका संबंधित वन संरक्षक ने निरीक्षण किया है (हां/ नहीं) यदि हां तो निरीक्षण की तारीख और किये गये प्रेक्षकों को, निरीक्षण नोट के रूप में संलग्न करें	जी नहीं।
2	क्या वन संरक्षक उप वन संरक्षक के अभिमत से सहमत हैं। यदि नहीं तो उसका कारण दें।	सहमत है।
3	प्रस्ताव की स्वीकृति या अन्यथा के बारे में विस्तृत कारणों के साथ अभिमत।	सहायक अभियंता निर्माण पूर्व मध्य रेलवे सिंगरौली द्वारा वन संरक्षण अधिनियम 1980 (2) के अंतर्गत रेलवे लाइन के दोहरीकरण के प्रस्ताव में प्रभावित वनभूमि वन परिक्षेत्र बरगवां के कक्ष कर्मांक आर.एफ 244 रकवा 1.575 हे० वन भूमि है। वनमण्डलाधिकारी सिंगरौली आवेदक संस्थान द्वारा प्रस्तावित आवेदित क्षेत्र 1.575 हे. वनभूमि व्यपवर्तन का प्रस्ताव प्रस्तावित प्रयोजन के उपयोगार्थ वन (संरक्षण) अधिनियम 1980 (2) के प्रावधानों के तहत अनुशंसित किया गया है। रेलवे लाइन के दोहरीकरण कार्य हेतु वनमंडलाधिकारी सिंगरौली द्वारा की गयी अनुशंसा के आधार पर इस कार्यालय द्वारा भी अनुशंसित है।

तिथि : 12-03-2019
स्थान: रीवा


मुख्य वन संरक्षक
रीवा वृत्त रीवा म.प्र.